न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल कैम्प रीवा म0प्र0,

R.5076-दो/15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1. श्रीमती मालती सिंह पत्नी स्व0 धीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम एवं तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0,
2. दीपेन्द्र सिंह तनय स्व0 धीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम एवं तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0,

...............**निगरानीकर्तागण**

बनाम

श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी रामनिवास गुप्ता निवासी ग्राम एवं तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0,

................**उत्तरवादी**

निगरानी विरूद्ध आज्ञा श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0, प्रकरण कमांक-98/अ-12/2014-15 आदेश दिनांक-21.07.2015,

....

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई.,

....

श्री ... एड द्वारा आज दिनांक 24-9-15 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैः-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने सीमांकन पुष्टि बिना नक्शा तर्मीम के निरस्त किये जाने योग्य है।

(243)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5076-II/15 जिला–.रीवा

मालती सिंह/ सुनीता गुप्ता

(1)	(2)
19.12.18	1. आवेदक की श्री कामता प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल रायपुर कर्चु0, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 98/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य